



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228881
CG-DL-E-10082021-228881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]
No. 451]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2021/श्रावण 19, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2021/SHRAVANA 19, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 551(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115अख की उप-धारा (2घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्ष- इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तेईसवाँ संशोधन), नियम, 2021 है।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10दक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जा सकेगा, अर्थात्: -

"10दख. धारा 115अख की उप-धारा (2घ) के प्रचालन के कारण धारा 115 अख की उप-धारा (1) के अधीन देय कर में राहत- (1) धारा 115अख की उप-धारा (2डघ) के प्रयोजनों के लिए, धारा 115अख की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर, उस धाराके बारे में पिछले वर्ष के लिए, निम्नलिखित राशि से कम किया जा सकेगा, अर्थात्: -

(क-ख) - (घ-ग), जहां,

क = पिछली आय सहित पिछले वर्ष के बही लाभ पर धारा 115अख की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर;

ख = पिछली आय के साथ बही लाभ को कम करने के पश्चात् पिछले वर्ष के बही लाभ पर धारा 115अख की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर;

ग = वे पिछले वर्ष या वर्षों जिनसे पिछली आय संबंधित है, के बही लाभ पर धारा 115अख की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर का योग;

घ = ऐसे वर्ष या वर्षों की सुसंगत पिछली आय के साथ बही लाभ में वृद्धि के पश्चात्, मद ग के बारे में, पिछले वर्ष या वर्षों के बही लाभ पर धारा 115अख की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर का योग:

परंतु यदि फार्मूला में (क-ख)-(घ-ग) का मान ऋणात्मक है, तो उसका मान शून्य समझा जा सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए पिछली आय, पिछले वर्ष या बही लाभ में सम्मिलित वर्षों की आय की राशि धारा 92गग के अधीन निर्धारिती द्वारा अग्रिम मूल्यांकन करार करने के कारण पिछले वर्ष या धारा 92गड के अधीन अपेक्षित द्वितीय समायोजन के कारण होगी।

(3) उप-नियम (1) के उपबंध के आवेदन पर, धारा 115अक के अधीन निर्धारिती को अनुमत टैक्स क्रेडिट उस राशि से कम किया जा सकेगा जो कटौती की राशि के समान है जिसे उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञात किया गया है।

(4) निर्धारिती कंपनी प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो द्वारा निर्दिष्ट रीति में उक्त प्ररूप के हस्ताक्षरित प्रिंटआउट को प्ररूप संख्या 3 गडडकको इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करके धारा 115अख की उप-धारा (2घ) के अधीन राहत के लिए दावा करेगी।

(5) प्ररूप संख्या 3 गडडक को उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा जो धारा 140 के अधीन निर्धारिती कंपनी की आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(6) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, प्ररूप संख्या 3 गडडक को फाइल करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए कथनों के संबंध में उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण 1.- फार्मूला में राशि "क" का मूल्य शून्य समझा जा सकेगा, यदि पिछली आय सहित उस पिछले वर्ष के बही लाभ पर धारा 115अख की उप-धारा (1) के अधीन कोई कर देय नहीं है।

स्पष्टीकरण 2.- फार्मूला में राशि "ख" का मूल्य शून्य समझा जा सकेगा, यदि पिछली आय के साथ बही लाभ को कम करने के पश्चात् उस पिछले वर्ष के बही लाभ पर धारा 115अख की उप-धारा (1) के अधीन कोई कर देय नहीं है।

स्पष्टीकरण 3.- फार्मूला में राशि "ग" की गणना के प्रयोजनों के लिए, यदि किसी पिछले वर्ष या वर्षों में उस वर्ष या वर्षों के बही लाभ पर धारा 115अख की उप-धारा (1) के अधीन कोई कर देय नहीं है, तो उस वर्ष या वर्षों के लिए देय कर शून्य समझा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण 4.- फार्मूला में "घ" राशि की गणना के प्रयोजनों के लिए, यदि किसी पिछले वर्ष या वर्षों में उस वर्ष या वर्षों की सुसंगत पिछली आय के साथ बही लाभ में वृद्धि के पश्चात्, उस वर्ष या वर्षों के बही लाभ पर धारा 115अख की उप-धारा (1) के अधीन कोई कर देय नहीं है, तो ऐसे वर्ष या वर्षों के लिए देय कर शून्य समझा जा सकेगा।

3. मूल नियम की परिशिष्ट 2में, प्ररूप संख्या 3गडड के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूपअंतःस्थापित किया जा सकेगा, अर्थात्:-

"प्ररूप संख्या 3गडड"

[नियम 10दख का उप-नियम (4) देखें]

धारा 92गड के अधीन द्वितीय समायोजन के कारण किसी कंपनी द्वारा या धारा 92गग के अधीन दर्ज किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के कारण पिछले वर्ष के लेखा बही में सम्मिलित पिछले वर्ष(वर्षों) की आय के कारण किसी भी समायोजन के लिए पुनर्गणना हेतु 31 मार्च..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विशिष्टियाँ प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	व्यौरा
1.	कंपनी का नाम और पता	
2.	स्थायी खाता संख्या	
3.	आवागय स्थिति	
4.	सुसंगत पिछले वर्ष	
5.	क्या यह एपीए या द्वितीय समायोजन का मामला है	

6.	पिछली आय का ब्यौरा [नियम 10दख के उप-नियम (2) का निर्देश] ब्यौरा	सुसंगत पिछले वर्ष	पिछली आय की राशि	पिछली आय की कुल राशि
7.	नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि क (पिछली आय सहित पिछले वर्ष के बही लाभ पर देय कर)			
8.	नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि ख (पिछली आय को छोड़कर पिछले वर्ष के बही लाभ पर देय कर)			
9.	क-ख (मद 7 पर राशि घटा मद 8 पर राशि)			
10.	देय कर के ब्यौरा के साथ नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि ग	(I) नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि ग		
		(II) पिछले वर्षों के बही लाभ पर देय कर का ब्यौरा		
		सुसंगत पिछले वर्ष	पिछली आय की राशि	पिछले वर्षों के बही लाभ पर देय कर का योग
11.	देय कर के ब्यौरा के साथ नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि घ	(I) नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि ग		
		(II) पिछले वर्षों के बही लाभ पर देय कर का ब्यौरा		
		सुसंगत पिछले वर्ष	पिछली आय की राशि	पिछले वर्षों के बही लाभ पर देय कर का योग
12.	घ-ग (मद 11 पर राशि घटा मद 10 पर राशि)			
13.	धारा 115अख (2घ) के अधीन कर में राहत (मद 9 पर राशि घटा मद 12 पर राशि)			

सत्यापन

मैं _____, घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कथन किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। आज _____ के दिन सत्यापित किया जाता है।

स्थान:

तारीख:

.....
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर।

[अधिसूचना सं. 92/2021/फा. सं. 370142/21/2021-टीपीएल (भाग)]

राजेश कुमार भूत, संयुक्त सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में क्रम संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 545(अ), तारीख 9 अगस्त, 2021 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2021

G.S.R. 551(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2D) of section 115JB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Income tax (23rd Amendment), Rules, 2021.

2. In the Income-tax Rules, 1962, (hereinafter referred to as principal rules) after rule 10RA, the following rule shall be inserted, namely:—

“10RB. Relief in tax payable under sub-section (1) of section 115JB due to operation of sub-section (2D) of section 115JB.— (1) For the purposes of sub-section (2D) of section 115JB, the tax payable by the assessee company under sub-section (1) of section 115JB, for the previous year referred to in that section, shall be reduced by the following amount, namely:—

(A-B) – (D-C), where,

A = tax payable by the assessee company under sub-section (1) of section 115JB on the book profit of the previous year including the past income;

B = tax payable by the assessee company under sub-section (1) of section 115JB on the book profit of the previous year after reducing the book profit with the past income;

C = Aggregate of tax payable by the assessee company under sub-section (1) of section 115JB on the book profit of those past year or years to which the past income belongs;

D = Aggregate of tax payable by the assessee company under sub-section (1) of section 115JB on the book profit of past year or years, referred to in item C, after increasing the book profit with the relevant past income of such year or years:

Provided that if the value of (A-B)-(D-C) in the formula is negative, its value shall be deemed to be zero.

(2) For the purposes of sub-rule (1) past income shall be the amount of income of past year or years included in the book profit or the previous year on account of an advance pricing agreement entered into by the assessee under section 92CC or on account of secondary adjustment required to be made under section 92CE.

(3) On application of provision of sub-rule (1), the tax credit allowed to the assessee under section 115JAA shall be reduced by the amount which is equal to the amount of reduction that has been allowed under sub-rule (1).

(4) The assessee company shall make a claim for relief under sub-section (2D) of section 115JB in Form No. 3CEEA electronically by uploading signed printout of said Form in the manner specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be.

(5) Form No.3CEEA shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income of the assessee company under section 140.

(6) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedure for filing of the Form No. 3CEEA and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements so furnished under this rule.

Explanation 1.- The value of amount “A” in the formula shall be deemed to be zero, if there is no tax payable under sub-section (1) of section 115JB on the book profit of that previous year including the past income.

Explanation 2.- The value of amount “B” in the formula shall be deemed to be zero, if there is no tax payable under sub-section (1) of section 115JB on the book profit of that previous year after reducing the book profit with the past income.

Explanation 3.- For the purposes of calculation of amount “C” in the formula, if in any past year or years there is no tax payable under sub-section (1) of section 115JB on the book profit of that year or years, the tax payable for that year or years shall be deemed to be zero.

Explanation 4.- For the purposes of calculation of amount “D” in the formula, if in any past year or years there is no tax payable under sub-section (1) of section 115JB on the book profit of that year or years after increasing the book profit with the relevant past income of such year or years, the tax payable for that year or years shall be deemed to be zero.

3. In the principal rules, in Appendix II, after Form No.3CEE, the following form shall be inserted, namely:—

“FORM No 3CEEA

[See sub-rule (4) of rule 10RB]

Form for furnishing particulars for the year ending 31st March,.....for recomputation for any adjustment on account of income of past year(s) included in books of account of previous year by a Company on account of secondary adjustment under section 92CE or on account of an Advance Pricing Agreement entered under section 92CC

Sr. No.	Particulars	Details
1.	Name and address of the Company	
2.	Permanent Account Number	
3.	Residential status	
4.	Relevant previous year	
5.	Is it a case of APA or secondary adjustment	

6.	Details of past income [refer sub-rule (2) of rule 10RB]	Relevant previous year	Amount of past income	Total amount of past income	
7.	Amount A of formula in sub-rule (1) of rule 10RB (tax payable on book profit of the previous year including past income)				
8.	Amount B of formula in sub-rule (1) of rule 10RB (tax payable on book profit of the previous year excluding past income)				
9.	A-B (amount at item 7 minus amount at item 8)				
10.	Amount C of formula in sub-rule (1) of rule 10RB with details of tax payable	(I) Amount C of formula in sub-rule (1) of rule 10RB			
		(II) Details of tax payable on the book profit of past years			
		Relevant previous year	Amount of tax payable	Aggregate of tax payable on the book profit of past years	
11.	Amount D of formula in sub-rule (1) of rule 10RB with details of tax payable	(I) Amount D of formula in sub-rule (1) of rule 10RB			
		(II) Details of tax payable on the book profit of past years including past income			
		Relevant previous year	Amount of tax payable	Aggregate of tax payable on the book profit of past years including past income	

12.	D-C (amount at item 11 minus amount at item 10)	
13.	Relief in tax under section 115JB (2D) (amount at item 9 minus amount at item 12)	

Verification

I _____, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. Verified today, the day of _____

Place:

Date:

.....

Signature of the Authorised Signatory.”.

[Notification No. 92/2021/F. No.370142/21/2021-TPL (Part)]

RAJESH KUMAR BHOOT, Jt. Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R.545 (E), dated, 9th August,2021.